Lakshmibai National Institute of Physical Education (Deemed University)
21(H)
Inward No
Date 27.4.15
File No

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर म0प्र0

क्रमांक / वरि0 / पु.अ. / ग्वा0 / डीसीबी / सीआईडी / 3364 / 15 दिनांक 22 / 04 / 15

VC/20/23-4-15

प्रति,

निदेशक,
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण
विश्व विधालय,रेस्कोर्स रोड़, ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः— अप्रवासी भारतीय (Non Resident Indian) के विवाह संबंधित समस्याओं पर Do's and Dont's के वितरण के संबंध में ।

——000——

अप्रवासी भारतीय (Non Resident Indian) युवकों से विवाह के बाद भारतीय युवतियों को अनेक समस्याऐं आती है, जो एक गम्भीर स्थिति है। ऐसे प्रकरणों में कमी लाने हेतु संगठित प्रयास कर प्रचार–प्रसार की आवश्यकता हैं।

अप्रवासी भारतीय (Non Resident Indian) से संबंधित विवाहों में Do's And Dont's का विवरण दिया गया है, जो ऐसे विवाहों से पूर्व काफी उपयोगी साबित हो सकेंगे। आपकी सुविधा के लिये अप्रवासी भारतीयों से विवाह संबंधित समस्या तथा क्या करें (Do's) और क्या न करें से संबंधित जानकारी आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। आप स्वयं एवं अपने अधिनस्थ सहकर्मियों एवं समस्त छात्राओं को प्रोत्साहित कर जानकारी की प्रतियॉ वितरित कराने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

हेतु–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
ग्वालियर

अप्रवासी भारतीयों से विवाह संबंधित समस्यायें

सामान्यतः NRI विवाह से तात्पर्य ऐसे विवाह से है जो भारतीय महिला का अप्रवासी भारतीय अर्थात् भारतीय मूल पुरूष जो अन्य देश में निवासरत से है, हो । यह पुरूष भारतीय नागरिकता (NRI) या उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकता है (PIO)

कुछ NRI विवाहों में विवाह पश्चात अनेक समस्यायें सामने आती है । अप्रवासी भारतीय से विवाह अधिक मोहक व लाभप्रद दिखाई देने के कारण अनेक तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है । ऐसे विवाहों से उत्पन्न समस्याओं के कारण महिला, न्याय के प्रति शरणागत रहती है, जिसकी प्रक्रिया जटिल होती है । ऐसे विवाहों में परित्यक्त होने पर– भाषा संबंधी, सूचना संबंधी, स्थानीय कानून से अनभिज्ञता संबंधी आदि समस्यायें सामने आती है ।

NRI विवाहों से संबंधित सामान्य तथ्य :-

NRI विवाहों में निम्न विशिष्ट घटनायें/उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं :–

- अप्रवासी भारतीय से विवाह पश्चात विवाहिता का परित्याग कर दिया जाता है, उसे विदेश नहीं ले जाया जाता है ।
- महिला को निर्दयतापूर्वक मारा जाता है, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीडित किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, परिरोध किया जाता है एवं बलपूर्वक वापस भेज दिया जाता है ।
- तत्काल सगाई पश्चात विवाह , बडा दहेज व हनीमून के पश्चात अप्रवासी वापस नहीं आता एवं विवाहिता वीसा का इंतजार करती है ।
- अधिकांश प्रकरणों में बच्चों को बलपूर्वक अपने पास रख लिया जाता है ।
- विदेश में परित्याग पश्चात बिना किसी सहारे के, बिना विधिक आज्ञा के उस देश में रहना विवाहिता के लिये समस्या उत्पन्न करता है ।
- अप्रवासी पुरूष द्वारा विदेश में अन्य महिला से विवाह ।
- विवाहिता का गुजारा भत्ता इस आधार पर देना मना करना कि विवाह विदेश में विच्छेद हुआ है ।
- महिला को भारत या विदेश में भरण पोषण या तलाक हेतु न्यायालय जाने पर अनेक तकनीकि अवरोधों का सामना करना पडता है जैसे न्यायालय का क्षेत्राधिकार, नोटिस/समंस तामीली, आदेशों का प्रवर्तन आदि ।

क्या करें (Dos) :–

अप्रवासी दूल्हें की व्यक्तिगत जानकारी की जॉच करें जैसे :–

1. वैवाहिक स्थिति – वह अविवाहित है, तलाकशुदा है या अलग रहता है ।
2. सेवा विवरण – उसकी योग्यता, पद, वेतन, कार्यालय का पता, वीसा का प्रकार, अप्रवासी स्थिति आदि ।
3. वित्तीय स्थिति – भारत में उसके पास संपत्ति, निवासरत पता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वीसा, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आदि ।

- समय अंतरालों में पुरूष तथा उसके परिजनों से सतत् संपर्क में रहे । विवाह हेतु दोनों महिला एवं पुरूष व्यक्तिगत तौर पर मिलें व उपयुक्त वातावरण में मिल कर आपस में बात करें ।
- धार्मिक रीति से विवाहोपरांत विवाह का पंजीकरण अवश्य करायें ।
- अप्रवासी दूल्हें के साथ दूरभाष या मेल पर सतत् संपर्क में रहे । उसके स्थानीय मित्रों व परिजनों से संपर्क में रहे ।
- विदेशी कानून के संबंध में तथा वहॉ प्राप्त अधिकारों के संबंध में विशेष कर घरेलू हिंसा, उत्पीडन आदि का ज्ञान रखें ।
- किसी भी प्रकार के शारीरिक, भावात्मक, वित्तीय या लैंगिक उत्पीडन पर तत्काल विश्वसनीय परिजनों को इसकी सूचना दें ।
- स्वयं के नाम का बैंक खाता अपने निवास के निकट खुलवायें, जिसका आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकें ।
- विदेश जाने पर अपने पडोसियों, परिजनों, मित्रों, पति के प्रवर्तक, पुलिस, एम्बुलेंस व भारतीय दूतावास का संपर्क नम्बर अपने पास रखें ।
- विदेश जाने पर अपने घर पर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे– पासपोर्ट, वीसा, बैंक तथा संपत्ति दस्तावेज, विवाह प्रमाण–पत्र तथा संपर्क नंबरों की छायाप्रति अवश्य छोड कर जाये जिससे आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके ।
- अपने पति की व्यक्तिगत जानकारी की छायाप्रति अपने साथ रखें जैसे– पासपोर्ट, वीसा, संपत्ति का विवरण, लाइसेन्स नं., सोशल सेक्यूरिटी नं., वोटर कार्ड आदि ।

क्या न करें :–

- जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, न ही किसी दबाव में आकर कोई निर्णय लें ।
- परिजनों से बिना मिले, फोन या ई–मेल के द्वारा वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार न करें।
- किसी अप्रवासी को अति उत्तम व योग्य मानकर आवेग में आकर या दबाव में आकर प्रस्ताव स्वीकार न करें ।
- किसी ब्यूरो, एजेंट या दलाल पर अंधविश्वास करके विवाह न करें ।
- किसी वैवाहिक साइट पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर लडके बारे में समस्त जानकारी का स्वयं परीक्षण करें ।
- गुप्त रूप से किसी वैवाहिक प्रस्ताव पर निर्णय न लें न ही गुप्त रीति से विवाह करें क्योंकि सार्वजनिकीकरण द्वारा अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकी है, जो अन्यथा प्राप्त नहीं होगी ।
- विदेश में विवाह न करें ।
- विवाह के द्वारा ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का प्रयास न करें ।
- किसी प्रकार के दबाव में या मजबूरी में दहेज या कोई मांग का न माने ।
- पति/ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीडन या परित्याग करने पर चुप न रहें चाहे वह भारत में हो या (विदेश में हो)।
- विदेश जाने हेतु किसी दस्तावेजों या विधिक दस्तावेजों की जालसाजी करने का प्रयास न करें ।
- पति के द्वारा विदेश में तलाक लेने पर परेशान न हो क्योंकि भारत में यह वैध नहीं है ।
- इस तरह के प्रकरणों में प्रतिशोधी न बने, न ही कानून को अपने हाथों में लें । किसी अवैधानिक कृत्य या हिंसा का सहारा अपने ससुराल पक्ष या पति के विरूद्ध न लें । शासकीय उपक्रमों के पास पहुँच कर विवाह से संबंधित समस्यायें सुलझायें । किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत न करें ।